[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 50/2022-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2022

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

I उपाबंध में, सूची 33 में,-

(i) मद 3 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8413, 8414 या 8481" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) मद 14 के सामने,-

(क) कॉलम (2) में, "3104 20 00" अंकों के बाद, अंक "2915" अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में, "और तेल और गैस कुओं विशिष्ट सीमेंट योजक" शब्दों के लिए, "तेल और गैस कुएं विशिष्ट सीमेंट योजक और सीज़ियम फॉर्मेट" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 28 सितम्बर, 2022 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/45/2021-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ) तारीख 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं.40/2022-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 2022-सीमाशुल्क द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.नि. 572 (अ) तारीख 14 जुलाई, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।